



# PROCLAIMED OFFENDERS





# घोषित अपराधी

## The New Criminal Laws have incorporated stringent provisions for dealing with offenders evading the process of law

- Earlier, in CrPC proclaimed offenders could be declared in 19 offences only. In BNSS any person absconding from legal proceedings in offences punishable with 10 years or more or life imprisonment or death sentence may be declared as “proclaimed offender”.
- In BNSS, for proclaimed offenders a new provision has been added for the identification, attachment and forfeiture of their property situated outside India.
- BNSS introduces the procedure for in-absentia trial of proclaimed offenders. Now the process will not be halted waiting for the proclaimed offender to join the process. The victim and society need not wait for the justice.

सत्यमेव जयते



## नए आपराधिक कानूनों में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों से निपटने के लिए कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं

- पहले, सीआरपीसी में केवल 19 अपराधों में ही उद्धोषित अपराधी घोषित किया जा सकता था। बीएनएसएस में 10 साल या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मौत की सजा वाले अपराधों में कानूनी कार्यवाही से फरार किसी भी व्यक्ति को 'घोषित अपराधी' घोषित किया जा सकता है।
- बीएनएसएस में घोषित अपराधियों के लिए भारत के बाहर स्थित उनकी संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए एक नया प्रावधान जोड़ा गया है।
- बीएनएसएस ने घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की है। अब घोषित अपराधी के प्रक्रिया में शामिल होने के इंतजार में प्रक्रिया नहीं रुकेगी। पीड़ित और समाज को न्याय के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

सत्यमेव जयते

